भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1046

जिसका उत्तर मंगलवार, 29 जुलाई, 2025/7 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

न्यूनतम औसत मासिक बकाया शेष न बनाए रखने पर जुर्माना

1046. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान बैंक खाते में न्यूनतम औसत मासिक बकाया शेष (एएमबी) न रखने पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) सहित बैंकों द्वारा लगाए गए कुल जुर्माने का वर्ष-वार और बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या मंत्रालय ने ऐसे जुर्माने को युक्तिसंगत बनाने के लिए कोई निर्देश या दिशानिर्देश जारी किए हैं, विशेष रूप से कम आय वाले जमाकर्ताओं के मामले में, जिनके लिए ऐसे शुल्क की अदायगी अत्यधिक भारी पड़ सकती है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख):भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 20.11.2014 और 01.07.2015 के अपने परिपत्रों के अंतर्गत बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि न बनाए रखने के लिए दंडात्मक प्रभार लगाने और बैंकों में ग्राहक सेवा के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। बैंकों को यह अनुमति दी गई है कि वे अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार बचत खाते में न्यूनतम शेष राशि न रखे जाने के संबंध में दंडात्मक प्रभार निर्धारित कर सकते हैं जिसमें यह सुनिश्चित हो कि खाता खोलने के समय सहमति के अनुसार रखे गए वास्तविक शेष राशि और न्यूनतम शेष राशि के बीच अंतर की राशि पर दंडात्मक प्रभार का नियत प्रतिशत लगाया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने 'बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि' और 'बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि न बनाये रखने पर दंडात्मक प्रभार लगाने' के संबंध में 26 दिसंबर, 2002 और 20 नवंबर 2014 के परिपत्रों के अंतर्गत बैंकों से यह अपेक्षा की है कि:-

(i) खाता खोलने के समय न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता के बारे में ग्राहकों को सूचित करना। बाद में किए गए किसी भी परिवर्तन के बारे में खाताधारकों को भी सूचित किया जाना चाहिए;

(ii) वे ग्राहकों को दंडात्मक प्रभार के बारे में सूचित करें जो तब लागू होगा जब न्यूनतम शेष राशि के रखरखाव के मामले में पता लगने की तारीख से एक महीने के भीतर शेष राशि की पुन: पूर्ति नहीं की जाती है;

(iii) यह सुनिश्चित करना कि बचत खाता केवल न्यूनतम शेष राशि के रखरखाव के लिए प्रभार लगाने के कारण ऋणात्मक शेष में न बदल जाए।

विगत पांच वर्ष के दौरान ग्राहकों से बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि न रखने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रभारित राशि **अनुबंध** में दी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) के खाताधारकों को न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता के बिना प्रभार मुक्त निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

(i) बैंक शाखा के साथ-साथ सभी एटीएम/सीडीएम में नकदी जमा करना।

(ii) किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से या केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों और विभागों द्वारा आहरित चेकों के जमा/संग्रह के माध्यम से धन की प्राप्ति होना।

(iii) एक महीने में जमा की संख्या और मूल्य पर कोई सीमा नहीं।

(iv) एटीएम निकासी सहित एक महीने में न्यूनतम चार निकासी।

(v) एटीएम कार्ड या एटीएम-सह-डेबिट कार्ड।

वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) ने बैंकों को अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों को राहत प्रदान करने पर विशेष जोर देते हुए न्यूनतम औसत शेष (एमएबी) न बनाए रखने के लिए दंडात्मक प्रभारों के युक्तिकरण के मुद्दे की जांच करने की सलाह दी है।

"न्यूनतम औसत मासिक बकाया शेष (एएमबी) न बनाये रखने के लिए जुर्माने के संबंध में दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1046 के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**बैंक**	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**	**वित्तीय वर्ष 2024-25**
1	बैंक ऑफ बड़ौदा	118.13	307.49	333.33	386.51	386.16
2	बैंक ऑफ इंडिया	121.29	150.08	180.16	194.48	163.65
3	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	72.03	108.47	114.15	126.95	113.60
4	केनरा बैंक	177.38	230.28	226.11	284.24	294.91
5	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	82.29	135.2	142.52	128.17	97.18
6	इंडियन बैंक	342.86	316.89	296.27	369.16	503.00
7	इंडियन ओवरसीज बैंक	4.04	4.42	4.46	4.58	44.54
8	पंजाब एंड सिंध बैंक	शून्य	शून्य	15.80	39.44	45.68
9	पंजाब नेशनल बैंक	141.03	85.77	439.67	633.40	362.55
10	भारतीय स्टेट बैंक#	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	यूको बैंक	0.04	13.37	15.45	37.49	53.56
12	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	83.04	76.56	87.51	126.66	110.98

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मार्च 2020 से ग्राहकों से औसत मासिक न्यूनतम बकाया शेष राशि प्रभार नहीं ले रहा है।

केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही से प्रभार माफ कर दिए हैं।